In the case of the Integrated Tribal Development Projects in Sitheri Hills, Jawdhu Hills and Pachamalai listed above ITDP are covered under the RPDS. As per report received from the State Government these areas fall in the following Blocks :

Name of ITDP	Blocks with areas under RPDS
1. Sitheri Hills	1. Harur 2. Pappireddipatti 3. Karimangalam 4. Mathur (All in Dharmapuri District)
2. Jawadhu Hills	1. Jamunamarathur 2. Chengam 3. Thandarampet 4. Puduppalayam (all in Thiruvannamalai Sambuvarayar District) 5. Anaikkattu 6. Kanniyambadi 7. Madanur 8. Alangayam 9. Jolarpet (All in North Arcot Ambedkar District)
3. Pachamalai (Tiruchirappalli)	1. Thuraiyur 2. Uppiliapuram

सुपर बाजार के नियंत्रण कक्ष के कार्यकरण में अनियमितताएं

3594. **श्री चिमनभाई हरिभाई शुक्ल : क्या नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सुपर बाजार के नियंत्रण कक्ष द्वारा सुपर बाजार की सभी शाखाओं को प्रदान की जा रही जानकारी और प्रतिदिन के लेखा-जोखा को दर्ज करने में अनेक अनियमितताएं पाई गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सभी प्रकार की गड़बड़ियां सुपर बाजार में तैनात एक बिक्री सहायक (पुरुष कर्मचारी) द्वारा की जा रही हैं और उसे सहायक प्रबंधक (कार्मिक) द्वारा शरण दी गई है ;

(घ) क्या उक्त अधिकारी ने कुछ बहुमूल्य दस्तावेज नष्ट कर दिए हैं और हाल ही में सुपर बाजार के किराना विभाग में 1.5 लाख रुपए मूल्य के सामान की कमी से संबंधित अभिलेखों के सभी सबूत मिटा दिए हैं ;

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और क्या सुपर बाजार के महाप्रबंधक द्वारा इस विषय में कोई विशेष

जांच कराई गई है और उक्त अधिकारी के विरुद्ध अब तक कोई कार्यवाही न किए जाने के क्या कारण हैं ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) और (ख) सुपर बाजार, दिल्ली ने सूचित किया है कि कुछ शाखाओं द्वारा जनवरी, 1994 के महीने की कुल बिक्री के बारे में सूचना नियंत्रण कक्ष को समय पर नहीं सूचित की गई थी । ऐसी शाखाओं के कर्मचारियों के खिलाफ समुचित कार्रवाई की गई है तथा उन्हें भविष्य में दोबारा इस प्रकार अनियमितताएं न करने की चेतावनी दी गई है ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) से (च) प्रश्न नहीं उठता ।

सुपर बाजार के कर्मचारियों के प्रति भेदभाव

3595. **श्री गोपाल सिंह जी० सोलंकी** : क्या नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सुपर बाजार की प्रबंध समिति का रवैया 1984–85, 1986–87, 1988 और 1989 के दौरान नियुक्त कर्मचारियों के प्रति काफी भेदभाव पूर्ण रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि वर्ष 1984 और वर्ष 1985 में हैल्पर के पद पर नियुक्त इंटर परीक्षा उत्तीर्ण कर्मचारी आज भी उसी पद पर हैं, जबकि 1986–1988 और 1989 के वर्षों में नियुक्त मैट्रिक और हाई स्कूल उत्तीर्ण उम्मीदवारों को जिन्हें हैल्पर के पद पर नियुक्त किया गया था, कनिष्ठ विक्रय सहायकों के रूप में पदोन्नत किया गया है ;

(घ) सुपर बाजार में 1983 से 1989 तक के वर्षों के दौरान नियुक्त उन सभी उम्मीदवारों का ब्यौरा क्या है जिनके वेतनों में काफी अन्तर और भेदभाव है ;

(ङ) क्या सरकार ने इस मामले की कोई जांच कराई है ; और

(च) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) 1984–89 की अवधि के दौरान हैल्परों को दिहाड़ी के आधार पर लिया गया था और बाद में नियमितीकरण के समय उनमें से कुछ को जांच-समिति द्वारा उनकी योग्यताओं तथा उनके वार्षिक मूल्यांकन एवं कार्यनिष्पादन के मूल्यांकन को दृष्टिगत रखते हुए कनिष्ठ बिक्री सहायक के तौर पर नियमित कर दिया गया था ।

(घ) इतनी अधिक संख्या वाले कर्मचारियों के ब्यौरों के एकत्रीकरण तथा उन्हें तालिकाबद्ध करने से प्राप्त होने वाले परिणाम उस पर लगने वाले श्रम के अनुरूप नहीं होंगे । ऐसे सभी कर्मचारी अपने वेतनमानों के अनुसार अपना वेतन प्राप्त कर रहे हैं ।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठता ।